



भारत के नयित्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

॥



भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)



नियुक्ति एवं कार्यकाल

अनुच्छेद 148:

- नियुक्तकर्ता: भारत के राष्ट्रपति
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
- निष्कासन प्रक्रिया:
 - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान
 - सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिये संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है
- शपथ: भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिये

स्वतंत्रता

अनुच्छेद 148:

- सुरक्षित कार्यकाल: राष्ट्रपति के विवेक पर हटाया नहीं जा सकता
- कार्यकाल के बाद सरकारी पद के लिये अयोग्य
- भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला वेतन एवं कार्यालय व्यय (संसदीय मत के अधीन नहीं)
 - कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके कार्यों के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता

अनुच्छेद 149: संसद द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें; नियुक्ति के बाद CAG को बदला नहीं जा सकता

संबंधित मुद्दे

- ऑडिट रिपोर्ट में विलंब: निगरानी और पारदर्शिता कम हो जाती है
- पोस्ट-फैक्टो ऑडिट पर ध्यान केंद्रित करना: सक्रिय नियंत्रण को सीमित करता है
- संसाधन संबंधी चुनौतियाँ: आर्थिक विशेषज्ञता और स्टाफ की कमी
- सीमित बजट-पूर्व भूमिका: निर्णय लेने में शामिल नहीं

CAG कार्यालय में सुधार हेतु सिफारिशें (विनोद राय-पूर्व CAG द्वारा दी गईं)

- CAG के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें PPP, पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी वित्तपोषित समितियों को भी शामिल किया जाना
- आधुनिक शासन के अनुरूप CAG अधिनियम 1971 में संशोधन करना
- नवीन CAG के चयन के लिये कॉलेजियम प्रणाली बनाना

कर्तव्य एवं शक्तियाँ

अनुच्छेद 149: CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ निर्धारित करता है

- लेखा:
 - भारत एवं राज्यों की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, एवं सार्वजनिक लेखा
 - सार्वजनिक राजस्व द्वारा वित्तपोषित सरकारी निकाय, निगम और प्राधिकरण
- अनुच्छेद 150: संघ एवं राज्य लेखाओं के प्रारूप पर राष्ट्रपति को सलाह देता है
- अनुच्छेद 279: करों और शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है

अनुच्छेद 151: प्रतिवर्ष 3 लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:

- अध्यक्ष - विनियोग, वित्त खातों और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा
- राज्यपाल - राज्य विधानसभाओं के लिये राज्य लेखा पर रिपोर्ट

भूमिका

- संसद के एजेंट के रूप में कार्य करना: यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिक और कुशलतापूर्वक किया जाए
- लोक लेखा समिति (PAC): इसके सलाहकार के रूप में कार्य करती है
- पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है
- अपने ब्रिटिश समकक्ष के विपरीत, यह नियंत्रक के रूप में नहीं बल्कि महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है

के संजय मूर्ति
नवंबर 2024 में
CAG के रूप में
पदभार
संभालेंगे

